[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख :..................... 2017

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चूका है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'ख', राजपत्रित, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-7 (44900-142400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (नाकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक डिग्री, ii) सरकारी कार्यालय/पीएसयू/स्वायत निकाय/ सांविधिक निकाय में पर्यावेक्षी क्षमता स्थापना कार्य में अकाउन्ट, प्रशासन में 2 वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण -2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण न होने पर सीधी भर्ती द्वारा|	<u>प्रोन्नति</u> हेड कलर्क जिन्होंने प्रशासन, स्थापना तथा लेखा संबंधी मामलों में अनुभव सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो| <u>प्रतिनियुक्ति</u> केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने प्रशासन, स्थापना तथा लेखा संबंधी मामलों में अनुभव सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में 05 वर्ष की सेवा की हो| <u>प्रतिनियुक्ति -</u> केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित राज्यों सदृश पद धारण किए अधिकारी या (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 या समतुल्य में कम से कम 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित पद तथा कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता तथा अनुभव रखते हों ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक - सदस्य (संबंधित) 3. निदेशक , आरएचटीसी- सदस्य 4. निदेशक (संबंधित)- सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 5. उप निदेशक (संबंधित)- सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है| (अल्पावधि संविदा सहित)

(ए.11018/12/2014- एम एच II)

(संजय पंत)

अवर सचिव , भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड़, नई दिल्ली (राजपत्रित अधिसूचना की प्रति इस मंत्रालय को भी कृपया अग्रेषित करें)